न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 02/24 सन् 2024

आरसीएमएस संख्या 2024/07

बउनवानी :– 1. नन्दकिशोर राजोरा पुत्र श्री भगवान सहाय राजोरा जाति खटीक निवासी बौली
2. भागचन्द राजोरा पुत्र श्री भगवान सहाय राजोरा जाति खटीक निवासी बौली
3. विजेन्द्र राजोरा पुत्र श्री भगवान सहाय राजोरा जाति खटीक निवासी बौली
4. अशोक राजोरा पुत्र श्री भगवान सहाय राजोरा जाति खटीक निवासी बौली
5. श्रीमति गुलाब बेवा श्री भगवान सहाय राजोरा जाति खटीक निवासी बौली

बनाम

1. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बौंली जिला सवाईमाधोपुर
2. उपजिला कलेक्टर बौंली

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बौंली मे जैरकार राजस्व वाद संख्या 1/2024 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 1/2024 उनवानी नन्दकिशोर बनाम तहसीलदार बौंली अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री आशीष कुमार जैन — वकील प्रार्थी
2. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 31.5.2024

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर बौली में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 1/2024 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 1/2024 उनवानी नन्दकिशोर बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अपने कब्जे काश्त की वाके ग्राम रवासा की आराजी ख0न0 23/1/4 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 79 व 69 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती कर खातेदारी दर्ज करने बाबत पेश कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.12.2023 के आधार पर प्रार्थी भागचन्द को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत दिनांक 15.12.2023 को नोटिस जारी कर 29.12.2023 को तलब किया प्रार्थी 29.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश करने के लिए 1 माह का समय मांगा किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 14 दिवस का समय प्रदान करते 12.1.2024 की तारीख नियत की गयी। दिनांक 12.1.2024 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 समक्ष उपस्थित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के राजस्व अपील संख्या 3/2023 उनवानी नन्दकिशोर बनाम तहसीलदार बौंली मे पारित आदेश दिनांक 4.1.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में साबिक ख0न0 23/1/4 ग्राम रवासा रकबा 5 बीघा के हाल ख0न0 79 व 69 बाबत अपीलान्ट को मौके से बेदखल ना करने के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण को [illegible] आदेश व संबंधित राजस्व वाद के आधार पर निरस्त करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण मे कार्यवाही निरस्त ना कर आगामी तारीख पेशी 8.2.2024 नियत की गयी है। प्रार्थी के अलावा अन्य सहखातेदारान को भी 91 के प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया है तथा ख0न0 69 को गलत तरीके से चारागाह के रूप में दर्शा रखा है जिसको दुरूस्त करवाने का वाद संख्या 1/24 प्रार्थना पत्र [illegible] उप जिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय मे जैरकार है जिसके लिए उपजिला कलेक्टर बौली ने कहॉ कि उक्त दावा व टीआई में आपको कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नही मिलेगा एवं आपको उक्त भूमि पर से बेदखल करना ही पडेगा। पीठासीन अधिकारी के उक्त कथन के आधार पर हम प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार दोनो प्रकरणों को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैराकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाके ग्राम रवासा की आराजी ख0न0 23/1/4 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 79 व 69 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती कर खातेदारी दर्ज करने बाबत पेश कर रखा है। हाल ख0न0 79 प्रार्थी की खातेदार भूमि है तथा ख0न0 69 की भूमि चरागाह है। अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार वाद के माध्यम से प्रार्थीगण उक्त ख0न0 69 की भूमि को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का करवाना चाहते है। ख0न0 69 वर्तमान मे चरागाह भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा होने के कारण उनको तहसीलदार बौंली द्वारा बेदखली की कार्यवाही किया जाना कोई विधि विरूद्व कार्यवाही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवायी नही करने व स्थगन नही देने के कारण प्रार्थीगणो द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय से इस आशय का स्थगन प्राप्त किया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर वाद सुनवायी अपना मत एवं विवेचन अंकित करते हुए नियमानुसार शीघ्र आवश्यक रूप से निस्तारण करे,तब तक प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नही किया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे टी.आई प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवायी की कार्यवाही को रोक कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्थगन को लम्बे समय तक प्रभावी रखने हेतु प्रार्थीगण द्वारा सोची समझी साजिस के तहत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज करने योग्य है।

उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास का कोई ठोस कारण दर्ज नही है फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। चूंकि प्रकरण से संबंधित ख0न0 69 की भूमि वर्तमान मे चरागाह भूमि है जिसपर बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जानी है किन्तु उक्त बेदखली की कार्यवाही से बचने के लिए प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार टी.आई. प्रार्थना पत्र की सुनवायी को बाधित कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के स्थगन आदेश दिनांक 04.1.2024 को लम्बे समय तक प्रभावी रखने के उद्वेश्य से पेश किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य, सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है किसी के दबाव मे नही किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से [illegible] मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner